PRESS NOTE MEERUT RANGE

जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.05.19

एनसीआर क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से गैंग बनाकर लूटपाट कराने वाले गैंग का सरगना (सुनार) लूटी गयी सोने की चैन सहित गिरफ्तार :– थाना इंदिरापुरम पुलिस की सक्रियता से उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 17.05.2019 को वैशाली मैट्रो स्टेषन से 01 शातिर लूटेरे गैंग के सरगना को लूटी हुई एक सोने की चैन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है

गिरफ्तार अपराधी का नाम व पताः–

1:– संदीप वर्मा पुत्र राजपाल वर्मा निवासी म0न0–241 गली न0–1 गांव जीतपुर रावली रोड थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

गैंग का अपराध करने का तरीकाः–

अभियुक्तगण एक शातिर लूटपाट करने वाले गैंग का सरगना है जो कि पेषे से मुरादनगर मे सुनार का काम करता है जो प्रायोजित तरीके से लूटपाट/स्नैचिंग करवाता हैं तथा लूटपाट करने वाले अपराधियों का गैंग बनाकर उनको संसाधन मुहैया कराकर लूटपाट करने के लिए एनसीआर क्षेत्र में भेजता है तथा लूटे गये सामान को अपने पास मंगवा लेता है तथा उन लोगों को लूटे गये समान के बदले में उनको खर्चा पानी के नाम पर कुछ रुपये दे देता हैं। अगर लूटपाट के दौरान सोना/चांदी/हीरा आदि का सामान मिलता है तो उक्त शातिर अभियुक्त अपनी दुकान पर लूटे गये सामान को गलाकर नया आभूषण तैयार कर बेच देता है इसी क्रम में दिनांक 15.05.19 को चैकिंग के दौरान वैषाली क्षेत्र से दो शातिर लूटेरों किषोर व मुन्ना निवासी मुरादनगर गाजियाबाद को मय माल व एफजेड मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त लूटेरों से पूछताछ के दौरान पता चला कि मुरादनगर निवासी संदीप वर्मा नाम का व्यक्ति जो कि मुरादनगर में ही सुनार का काम करता है हम लोगोंको लूटपाट करने के लिए मोटर साईकिल व अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर लूटपाट करने के लिए भेजता है तथा हमारे द्वारा लूटे गये सामान को उसके द्वारा ही खपाया जाता है। इसी क्रम में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उक्त एफजेड मोटर साइकिल भी संदीप वर्मा की पत्नी के नाम से पंजीकृत हैं। अभियुक्त संदीप वर्मा की गिरफ्तारी के दौरान लूटी गयी एक सोने की चैन भी बरामद हुई हैं तथा पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि पूर्व में किन–2 घटनाओं से सम्बन्धित माल को अभियुक्त संदीप द्वारा खपाया गया हैं। अभियुक्त संदीप द्वारा पूर्व में जनपद गाजियाबाद में कई घटनाओं को अपने साथियों द्वारा कारित कराने व माल खपाने के जुर्म का इकबाल किया गया हैं।

<u>बरामदगी का विवरणः–</u>

1:– 01 सोने की चैन **(सम्बन्धित अ0स0–766/19 धारा 392/411 भादवि)**

<u>अभियुक्तसंदीप वर्मा का अपराधिक इतिहास</u>

d0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	766/19	392/411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
2	817/19	392/411/120बी भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
3	983/19	392/411/120बी भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

<u>03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 02 चोरी से सम्बन्धित वाहन व 1 तंमचा 315 बोर मय कारतूस बरामद:-</u> थाना खोडा पुलिस की सक्रियता से उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब **दिनांक 16.05.19 को वाहन चैकिग के दौरान समय करीब 18.45 बजे अभि0 ईशाक सैफी** को चोरी की स्कूटी के साथ सोमवार पुस्ता खोडा से गिरफ्तार किया गया तथा इसी क्रम मे **दिनांक 16.05.19 को समय करीब 11.45 बजे साहिल पब्लिक स्कूल के पास खोडा से 02 शातिर वाहन चोर नन्हे व गुलफाम को** एक चोरी की मो0सा0 व एक तमंचा 315 बोर मय 1 खोखा व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर के बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता निम्नवत हैः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता	आपराधिक इतिहास
1- इशाक सैफीपुत्र रफीक नि0 PD स्कूल वाली गली लोक प्रिय विहार थाना खोड़ा गाजियाबाद	1. मु0अ0स0 247/19 धारा 411/414भादवि थाना खोडा गाजियाबाद 2. मु0अ0स0 004998/17 धारा 379 भादवि0 थाना लक्ष्मीनगर दिल्ली
2- नन्हे पुत्र रियासत नि0 ग्राम फरीदपुर थाना गन्नौर जिला सम्भल हाल पता पवन नाई का मकान ग्राम कुलेशरा थाना फेस 3 नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर	1. मु0अ0सं0 245/19 धारा 379,411 भादवि थाना खोडा 2. मु0अ0स0 248/19 धारा 25 आयुध अधि0 थाना खोडा 3. मु0अ0स0 धारा 376 भादवि0 व ¾ पोक्सो अधि0थाना जरीफनगर बदायु
3. गुलफाम पुत्र सुखराम नि0 ग्राम बिहारीपुर थाना मुन्जुरिया जिला बदायूँ हाल पता किरायेदार पवन नाई का मकान ग्राम कुलेशरा थाना फेस 3 गौतमबुद्ध नगर	1. मु0अ0सं0 245/19 धारा 379,411 भादवि थाना खोडा

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1- **स्कूटी** नं0 DL7SBM4548 इ0न0 JE21E93 चे0नं0 ME4JF214CC80 **(जो थाना लक्ष्मी नगर दिल्ली के मु0अ0स0 004998/17 धारा 379 भादवि0 मे चोरी है।)**

2- मो0सा0 स्पलैन्डर नं0- UP14DC8570 **(थाना खोडा के मु0अ0सं0 245/19 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित)**

3- 01 तमंचा 315 बोर मय 1 खोखा व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर

PRESS NOTE

दिनांक 17.05.2019

जनपद बागपत पुलिस का सराहनीय कार्य

थाना कोतवाली बागपत क्षेत्रान्र्तगत ग्राम सरूरपुरकलां मे हुई 07 वर्षीय बालक की हत्या के अभियोग में अभियुक्त गिरफ्तार।

- **घटना का संक्षिप्त विवरण :–**

दिनांक 13.05.19 को समय करीब 02:00 दोपहर को सरूरपुरकलां में 07 वर्षीय बालक का शव उसके घर की पहली मंजिल पर बने कमरे की चौखट पर चुनरी से लटका मिला। बालक के शव को मृतक बालक के परिवारजनों ने पुलिस को बिना सूचना किये दफना दिया। मृतक बालक की मृत्यु का वास्तविक पता लगाने के लिए दिनांक 14.05.19 को मृतक बालक के पिता ईश्वर पुत्र मांगेराम नि0 सरूरपुर कलां की तहरीर पर थाना बागपत पुलिस द्वारा जिलाधिकारी महोदय बागपत की अनुमति के आधार पर मृतक बालक के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बालक की हत्या गला दबाकर होना पाया गया।

आज दिनांक 17.05.19 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री ईश्वर सिंह पुत्र मांगेराम ने लिखित तहरीर दी कि उसके 07 वर्षीय बालक की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई है। इस सम्बन्ध में थाना बागपत पर मु0अ0सं0 301/19 धारा 302 भादवि बनाम अभिषेक पुत्र बलवान नि0 सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरूद्व पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक, बागपत महोदय के निर्देशन मे अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्र्तगत आज दिनांक 17.05.19 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा ग्राम सरूरपुरकला दिल्ली रोड भल्लम गेट के पास से मु0अ0सं0 301/19 धारा 302 भादवि में नामित अभियुक्त अभिषेक पुत्र बलवान नि0 सरूरपुरकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर अभियुक्त अभिषेक ने बताया कि वह दिनांक 13.05.19 को कचहरी से अपना काम निपटा कर घर जा रहा था, घर से सौ कदम पहले मोड पर उसे बालक मिला, जिसको उसने चलते–चलते एक थप्पड मार दिया था जिस पर बालक ने एक पत्थर उठाकर मार दिया जो उसे नही लगा। जिस पर अभिषेक को गुस्सा आ गया और उसने बालक को उठाकर उसके मकान के पिछले गेट से अन्दर घुसकर मकान के अन्दर बनी सीडियों के पास गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को छिपाने के लिये उसने मृतक बालक को उठाकर उसी के मकान की पहली मंजिल पर बने कमरे में ले जाकर चुनरी से बालक को कमरे की चौखट से लटका दिया। ताकि सभी लोग आत्महत्या समझे और फिर अपने घर चला गया।

उल्लेखनीय है कि मृतक बालक के पिता ईश्वर द्वारा बताया गया कि अभियुक्त अभिषेक द्वारा 03 वर्ष पूर्व मृतक बालक के साथ अप्राकृतिक कार्य करने का प्रयास किया गया था। जिसको लेकर दोनो पक्षो में झगडा हुआ था और अभियुक्त अभिषेक द्वारा मृतक बालक को जान से मारने की घमकी दी गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

- **<u>अभियुक्त का नाम व पता :–</u>**

1–अभिषेक पुत्र बलवान नि0 सरूरपुरकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

- **<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त अभिषेक :–</u>**

1–अभियुक्त अभिषेक द्वारा दिनांक 03.09.17 को अपने दो साथियों के साथ मिलकर थाना कोतवाली क्षेत्र गुफा मंदिर से श्री नीरज पुत्र तेजराम नि0 फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत की मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस नम्बर–यूपी–17एस–2952 को चोरी करना स्वीकार किया गया है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत पर मु0अ0स0 786/2017 धारा 379, 411 भादवि पंजीकृत है।

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा बिजली विभाग के करीब डेढ करोड रूपये गबन का आरोपी गिरफ्तार।

थाना कोतवाली बागपतः– पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 300/19 धारा 409 भादवि मे बिजली विभाग के करीब डेढ करोड रूपये गबन का आरोपी सुरेश पुत्र राजबीर निवासी कसेरकला थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर
दिनांक 17.05.2019 सराहनीय कार्य

थाना बादलपुर

दिनांक 17.05.2019 कों थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 02 स्कूटी व 02 अदद तमंचे 315 बोर 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद तमंचा देशी 12 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है पूछताछ पर बताया गया कि उनके द्वारा अब तक 25–30 मोटर साइकिल भिन्न स्थानो से चोरी की जा चुकी है एवं वे अपने साथ अवैध शस्त्र भी रखते है। वाहन चोरी करते समय घिर जाने/खतरा होने पर अस्लाह से फायर भी कर देते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1–श्यामवीर पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम राजपुर कला थाना दनकौर जिला गौतबुद्धनगर।
2. अजीत पुत्र बृहम सिंह निवासी ग्राम उस्तरा थाना गुलावठी जिला बुलंदशहर।
3. मोहित पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम विश्रोली थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः–

1. 05 मोटर साइकिल
2. 02 स्कूटी
3. 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
4. एक अदद तमंचा देशी 12 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोगः–

1. मु0अ0सं0 152/2019 धारा 411, 414 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 153/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 154/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0स0 155/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

थाना सूरजपुर

दिनांक 17.05.2019 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 शातिर लुटेरे अभियुक्तो को कस्बा चौकी के सामने से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से लूट का मोबाइल, एक ऑटो व एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. हितेश उर्फ चुस्का पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम भट्टापुरा थाना खानपुर जिला बुलंदशहर हाल पता भाटी का मकान दौलतराम कालोनी कस्बा व थाना दादरी।

2. शोएब पुत्र शाहबुददीन निवासी बडा मौहल्ला म0न0 905 कस्बा व थाना धौलाना हापुड हाल पता संतोष नगर कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
3. पंकित पुत्र प्रताप निवासी ग्राम जाठ थाना औरंगाबाद जिला बुलंदशहर।

बरामदगी का विवरणः–

1. एक लूट का मोबाइल
2. एक ऑटो
3. एक चाकू नाजायज

पंजीकृत अभियोगः–

हितेश उर्फ चुस्का पुत्र लाल सिंह

1. मु0अ0सं0 440/19 धारा 392/414 भादवि के अंन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।
2. मु0अ0सं0 448/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

शोएब पुत्र शाहबुददीन

मु0अ0सं0 440/19 धारा 392/414 भादवि के अंन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

पंकित पुत्र प्रताप

मु0अ0सं0 440/19 धारा 392/414 भादवि के अंन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

थाना फेस–3

दिनांक 17.05.2019 को थाना फेस–3 पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 96 पव्वे क्रेजी रोमियो व्हिस्की अरूणाचल प्रदेश मार्का शराब बरामद की गई।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. अनिल कुमार पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भगवन्तपुर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज हाल पता गुड्डी का मकान ग्राम गढी चौखण्डी थाना फेस– 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर

बरामदगी का विवरणः–

96 पौव्वे क्रेजी रोमियो व्हिस्की अरूणाचल प्रदेश मार्का शराब

पंजीकृत अभियोगः–

1. मु0अ0सं0 559/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के अंन्तर्गत पंजीकृत किया गया है

थाना बिसरख

दिनांक 17.05.2019 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 04 शतिर लूटेरे अभियुक्तों को अग्रवाल लाला की निमार्णधीन बिल्डिंग के पास हैबतपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे लूट की 01 सोने की चैन, 02 अंगूठी(पीली धातू), 02 मोबाइल फोन, 6000 रूपये व अवैध शस्त्र बरामद किये गये है।

अभियुक्तो द्वारा दिनांक 01.05.19 की रात्रि को अपने अन्य साथियो 1. शाहिद पुत्र शईद कुरैशी नि0 पंजाबी मौहल्ला कस्बा व थाना खुर्जा नगर जिला बु0शहर, 2. आशिफ पुत्र पप्पू कुरैशी नि0 आजाद नगर कठहैरा रोड कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर, 3.सलमान उर्फ सल्लू नि0 कठहैरा रोड कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर, 4. भोला पुत्र नामालूम नि0 कस्बा दादरी

गौतमबुद्धनगर, 5. दीपाशूं नि0 नामालूम के साथ मिलकर बृद्ध दम्पत्ति श्री कृष्णा चन्द प्रसाद पुत्र मदन प्रसाद नि0 ग्राम शाहवेरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर के घर से हथियारो के बल पर अंगूठी, सोने की चैन, सोने का नैकलेस,हाथ की घडी तथा उनके घर पर आये मेहमानो बहन व बहनोई के मोबाईल फोन व 1,20,000–रु0 लूट कर ले गये थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण 1. सद्दाम पुत्र मेधा कुरैशी निवासी गली न0 4 मोती कालोनी थाना कोतवाली हापुड जिला हापुड 2. जाबिद पुत्र रहीम कुरैशी निवासी कस्वा व थाना खानपुर बुलन्दशहर हाल पता किराये का मकान पप्पू कुरैशी नई बस्ती दादरी गौतमबुद्धनगर, 3.चाँद पुत्र शमसुद्दीन कुरैशी निवासी कस्वा व थाना बहादुरगढ जिला हापुड हाल पता किराये का मकान हाजी जी एक किनारा मस्जिद समर गार्डन थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ 4.इमरान उर्फ पग्गा पुत्र शौकत कुरैशी निवासी ग्राम मांग रोल जिला बुलन्दशहर हाल पता किराये का मकान पप्पू कुरैशी नई बस्ती कस्वा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 02.03.19 की रात्रि में रोजा जलालपुर स्थित सुनार की दुकान में चोरी करने का प्रयास किया गया था। गांव वालो के जागने पर गांव वालो ने इनको घेर लिया था तथा जाबिद को पकड लिया था। जाबिद को छुडाने के लिये 1. सद्दाम उपरोक्त ने मोनू पुत्र ओमप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम रोजा जलालपुर को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी तथा अपने साथी जाबिद को छुडाकर भाग गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 248ध्19 धारा 307 भादवि दिनांक 2.3.19 पंजीकृत है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के लुटेरे है जो कि घरो तथा सोने व चांदी की दुकानो पर रात्रि के समय लूट व चोरी की घटनाये नोएडा ,ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद व एनसीआर क्षेत्र मे कारित करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. सद्दाम पुत्र मेधा कुरैशी निवासी गली न0 4 मोती कालोनी थाना कोतवाली हापुड जिला हापुड ।
2.जाबिद पुत्र रहीम कुरैशी निवासी कस्वा व थाना खानपुर बुलन्दशहर हाल पता किराये का मकान पप्पू कुरैशी नई बस्ती दादरी गौतमबुद्धनगर ।
3.चाँद पुत्र शमसुद्दीन कुरैशी निवासी कस्वा व थाना बहादुरगढ जिला हापुड हाल पता किराये का मकान हाजी जी एक किनारा मस्जिद समर गार्डन थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ ।
4.इमरान उर्फ पग्गा पुत्र शौकत कुरैशी निवासी ग्राम मांग रोल जिला बुलन्दशहर हाल पता किराये का मकान पप्पू कुरैशी नई बस्ती कस्वा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरणः–

1.एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 जिन्दा कारतूस ।
2.एक सोने की चैन व दो अंगूठी ।
3. दो मोबाईल फोन सैमसंग ।
4. 6000/–रु0 नकद ।

.आपराधिक इतिहास

अभियुक्त सद्दाम –

1.मु0अ0सं0 432/19 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिसरख जनपद गौ0बु0नगर।
2. मु0अ0सं0 248/19 धारा 307 भादवि थाना बिसरख गौ0बु0नगर।
3. मु0अ0सं0 467/19 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौ0बु0नगर।

अभियुक्त जाबिद–

1. मु0अ0सं0 432/19 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिसरख जनपद गौ0बु0नगर।
2. मु0सं0सं0 248ध19 धारा 307भादवि थाना बिसरख गौ0बु0नगर।

अभियुक्त चांद–

1. मु0अ0सं0 432/19 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिसरख जनपद गौ0बु0नगर।
2. मु0अ0सं0 248/19 धारा 307 भादवि थाना बिसरख गौ0बु0नगर।

अभियुक्त इमरानः–

1. मु0अ0सं0 432/19 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 248/19 धारा 307 भादवि थाना बिसरख गौ0बु0नगर।

थाना फेस–2

: बंद घरो मे ताला तोडकर चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्त व चोरी की ज्वैलरी दने वाला 01 सुनार गिरफ्तार कब्जे से करीब 02 लाख 50 हजार चोरी के आभूषण व चोरी की गई व विदेशी करैंसी बरामद।

दिनांक 17.05.2019 को थाना फेस–2 पुलिस द्वारा घरो मे ताला तोडकर चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्त व चोरी का सामान खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार कब्जे से तीन अदद सोने की अंगूठी, तीन अदद सोने की चेन मय पेंडल, एक जोड़ी कानों के झुमके, जिनकी कीमत लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये 225 यूरो विदेशी करैंसी व ताला काटने/तोड़ने में प्रयुक्त कटर व दो लोहे की रॉड बरामद की गई।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. सोनू पुत्र मोहम्मद मियां निवासी पुरानी पुलिस चौकी कस्बा व थाना आंवला बरेली
2. राज मोहम्मद उर्फ राजू पुत्र रब्बानी निवासी मजरा जटा थाना उसैत बदायू

3 आलम पुत्र बूंदन खा निवासी लच्छीमपुर थाना बिसौली जिला बदायूं

4 बिट्टू उर्फ जिक्सर पुत्र ओमप्रकाश निवासी झुग्गी झोपड़ी संगम विहार नई दिल्ली ।

5 विजय सोनी पुत्र पारसनाथ निवासी संगम विहार 81/2 थाना नेब सराय नई दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण–

1– तीन अदद सोने की अंगूठी ।

2– तीन अदद सोने की चेन मय पेंडल।

3– एक जोड़ी कानों के झुमके ।

4– 225 यूरो विदेशी करंसी ।

साथ ही ताला काटन/तोड़ने में प्रयुक्त कटर व दो लोहे की रॉड।

पंजीकृत अभियोगः–

1. मु0अ0सं0 278/2019 धारा 457,380 भादवि थाना फेस 2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 314/19 धारा 454/380 भादवि थाना फेस 2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 17.05.2019 जनपद बुलन्दशहर

थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा 01 लाख रूपये की फिरौती मांगने वाला एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 17.05.2019 को समय करीब 10.45 बजे इरफान पुत्र इदरीश निवासी मौ0 शेखपेन थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर सूचना अंकित करायी कि वह दिनांक 15.05.19 को शाम समय 07.20 बजे नमाज को जा रहा था। उसी समय रास्ते मे उसके मौहल्ले के सरफराज पुत्र रियाजुद्दीन द्वारा वादी को रोककर तंमचे का भय दिखाकर 01 लाख रूपये की फिरौती की मांग की गयी थी, न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना खुर्जानगर पर मु0अ0सं0–282/19 धारा 384 भादवि पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 17.05.19 को थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग मे नामित अभियुक्त सरफराज को मुण्डाखेडा चौराहे से समय करीब 14.40 बजे गिरफतार करने मे सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1– सरफराज पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मौ0 शेखपेन थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सरफराज एक शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व मे कई बार जेल जा चुका है तथा थाना खुर्जानगर का **हिस्ट्रीशीटर अपराधी (एसएच–97ए) भी है।** अभियुक्त सरफराज के विरूद्ध थाना खुर्जानगर पर निम्न अभियोग पंजीकृत है–

1– मु0अ0सं0–100/2007 धारा 392,411 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

2– मु0अ0सं0–327/2007 धारा 307 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

3– मु0अ0सं0–328/2007 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

4– मु0अ0सं0–717/2007 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

5– मु0अ0सं0–958/2011 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

6– मु0अ0सं0–45/2012 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

7– मु0अ0सं0–546/2016 धारा 386,323,504,506 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

8– मु0अ0सं0–805/2016 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

9– मु0अ0सं0–866/2017 धारा 307 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

10— मु0अ0सं0—867 / 2017 धारा 25 / 27 शस्त्र अधि0 थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

11— मु0अ0सं0—442 / 2017 धारा 147,148,149,323,504,506,307,452,354ए भादवि खुर्जानगर बुलन्दशहर।

12— मु0अ0सं0—720 / 2018 धारा 354,506 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।
13— मु0अ0सं0—282 / 2019 धारा 384 भादवि थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. श्री अरविन्द कुमार, प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. अन्य कर्मचारीगण।

प्रेस नोट दिनांक 17.05.2019 जनपद मेरठ

थाना रेलवे रोड पुलिस द्वारा लूटेरा का सफल अनावरण एवं 04 गिरफ्तार व लूट का माल बरामद किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर मेरठ व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैन्ट महोदय के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे लुटेरों/डकैतों के विरूद्ध अभियान के दौरान थानाध्यक्ष रेलवे रोड द्वारा दिनांक 16.05.2019 को समय 15.15 बजे जमनिया बाग तिराहे से मुखबिर की सूचना पर सिटी रेलवे स्टेशन मेरठ की तरफ से मोटर साइकिल व स्कूटी से आते हुये चैकिंग के दौरान 04 लुटेरे / डकैत 1. जोनी पुत्र रामचन्द्र जाटव निवासी ग्राम अथायी थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर, 2. नीरज पुत्र धीर सिंह कश्यप निवासी ग्राम ककराला थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर, 3. मोहित गोयल उर्फ सोनू उर्फ झकोई पुत्र मंगत राम निवासी 426/2 संजय मार्ग पटेल नगर थाना नई मण्डी जिला मुजफ्फरनगर व 4. राहुल पुत्र महिपाल जाटव निवासी नयी बस्ती भोपा थाना भोपा जिला मुजफ्फर नगर को दिनांक 15.04.2019 को जैन नगर तिराहा के पास किराना व्यापारी / कमीशन एजेन्ट से हुई 4,00,000/- रूपये की लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस व स्कूटी मैस्ट्रो व तमन्चे कारतूस के गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से उक्त लूट में गये 1,00,000/- रूपये नगद व वादी श्री विनेश कुमार का आधार कार्ड व वोटर आई.डी.कार्ड व बैंक की दो पासबुक बरामद हुयी। पूछताछ में पकड़े गये बदमाशों द्वारा किराना व्यापारी / कमीशन एजेन्ट श्री विनेश कुमार से हुई लूट का इकबाल किया है तथा बताया कि यह घटना मोहित गोयल उर्फ सोनू उर्फ झकोई की सटीक सूचना पर हम लोगों ने मिलकर की थी तथा मोहित गोयल, विनेश कुमार के साथ गाजियाबाद से आता जाता था मुजफ्फरनगर मण्डी में कमीशन एजेन्ट के रूप में काम करता था तथा हमारे तीन साथी मुजफ्फरनगर कोतवाली से दिनांक 04.05.2019 को किसी अन्य लूट की घटना में गिरफ्तार होकर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध हैं। जिनके नाम 1. आशु जैन पुत्र नरेश जैन निवासी गली नं0 2 कृष्णा पुरी थाना कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर, 2. तालीब पुत्र महबूब निवासी ककराला थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर, 3. अंकित गर्ग पुत्र सुधीर गर्ग निवासी कृष्णा पुरी थाना कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर है तथा पकड़े गये चारो बदमाश दिनांक 16.05.19 को भी किसी लूट की घटना को अंजाम देने के लिये आये थे। दिनांक 15.04.19 को हुयी 4,00,000/- रूपये की लूट के सम्बन्ध में थाना रेलवे रोड पर मु0अ0सं0 99/19 धारा 395 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तगणो के विरूद्ध अन्य जनपदों में भी लूट आदि के मुकदमें पंजीकृत हैं तथा अभियुक्तगण शातिर किस्म के कुख्यात लुटेरे/डकैत हैं जिनके विरूद्ध थाना रेलवे रोड पर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पताः-

1. जोनी पुत्र रामचन्द्र जाटव निवासी ग्राम अथायी थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर
2. नीरज पुत्र धीर सिंह कश्यप निवासी ग्राम ककराला थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर,
3. मोहित गोयल उर्फ सोनू उर्फ झकोई पुत्र मंगत राम निवासी 426/2 संजय मार्ग पटेल नगर थाना नई मण्डी जिला मुजफ्फरनगर
4. राहुल पुत्र महिपाल जाटव निवासी नयी बस्ती भोपा थाना भोपा जिला मुजफ्फर नगर

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरणः-

1. 1,00,000/- रूपये नगद
2. 4 तमन्चा 315 बोर
3. 12 जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. विनेश कुमार का आधार कार्ड असल, कार्पोरेशन बैक की पासबुक, पीएनबी बैंक की पासबुक व वोटर आई डी कार्ड
5. घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस बिना नं0 व एक स्कूटी होण्डा मैस्ट्रो रजिस्ट्रेशन नं0 UP12AH 6851

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 99/19 धारा 395,412 भादवि थाना रेलवे रोड मेरठ
2. मु0अ0सं0 119/19 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना रेलवे रोड मेरठ
3. मु0अ0सं0 120/19 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना रेलवे रोड मेरठ
4. मु0अ0सं0 121/19 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना रेलवे रोड मेरठ
5. मु0अ0सं0 122/19 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना रेलवे रोड मेरठ
6. मु0अ0सं0 123/19 धारा 411,414 भादवि थाना रेलवे रोड मेरठ

थाना दौराला पुलिस द्वारा अन्तर्राज्जीय लुटेरा गैंग गिरफ्तार व लूट का माल बरामद किया गया।

दिनांक 16.05.19 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर मेरठ व श्रीमान क्षेत्राधिकारी दौराला महोदय के कुशल निर्देशन मे बरेली जोन व मेरठ जोन के जनपदो मुरादाबाद, अमरोहा, गजरोला, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड, मेरठ, बु0शहर जनपदो मे बढ रही लूटपाट की घटनाओ के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्ति एवं वांछित अपराधियो की चैकिंग अभियान के दौरान रात्रि चैकिंग में थाना दौराला पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर लावड रोड पर ग्राम खेडी टप्पा मोड पर चैकिंग के दौरान लावड की ओर से आ रही डस्टर गाडी रंग सफेद नं0 UP 14 CU 7621 को टार्च की रोशनी मारते हुये रुकने का इशारा करने पर अभि0गणो द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने के उपरान्त सिखलाये गये तरिके से टैक्टीकल हरकतो का प्रयोग करते हुये तीन अभि0गणो को मय डस्टर गाडी के मय एक CMP 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर मय खोखा कारतूस 315 बोर मय एक छुरा नाजायज के गिरफ्तार किया गया है जिनके तीन साथी मौके से भागने मे सफल रहे। पकडे गये अभियुक्तगण 1. शिवम पुत्र वीरपाल सिंह नि0 ग्राम दयानतपुर थाना बाबूगढ छावनी जनपद हापुड, 2. चेतक पुत्र रोहताश नि0 ग्राम छज्जूपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ, 3. विक्की पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम गेझा थाना परतापुर जनपद मेरठ है। अभि0गणो ने पूछने पर दिनांक 11.05.2019 को गुलावटी कस्बे मे शिवांग पैट्रोल पंप व 12.05.2019 की सुबह चौधरी फिलिंग स्टेशन पर की गयी लूटपाट की घटनाओ का इकबाल किया है जिनकी जामा तलाशी पर गुलावटी पैट्रोल पंप की लूट के 5000/- रुपये तथा परतापुर पैट्रोल पंप की लूट के पैसो मे से बचे 6000/- रुपये बरामद हुये है तथा इन दोनो लूट की घटनाओ मे प्रयुक्त थाना मसूरी क्षेत्र से दिनांक 09.05.2019 को लूटी गयी डस्टर गाडी रंग सफेद नं0 UP 14 CU 7621 बरामद हुयी है। पकडे गये सभी

अभि0गण अन्तर्राज्जीय गिरोह के सदस्य है जो आसपास के अन्य जनपदो मे भी जगह-जगह जाकर लूटपाट करते है जिनके विरुद्ध थाना दौराला पर मु0अ0सं0 214/19 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) मु0अ0सं0 215/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि व मु0अ0सं0 216/19 धारा 3/25 A.ACT बनाम शिवम, मु0अ0सं0 217/19 धारा 4/25 बनाम विक्की पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः–

1. शिवम पुत्र वीरपाल सिंह नि0 ग्राम दयानतपुर थाना बाबूगढ छावनी जनपद हापुड
2. चेतक पुत्र रोहताश नि0 ग्राम छज्जूपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ
3. विक्की पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम गेझा थाना परतापुर जनपद मेरठ

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक 16.05.19 , ग्राम खेडी टप्पा मोड लावड रोड

बरामदगी का विवरणः –

घटना मे प्रयुक्त डस्टर गाडी मय एक CMP 315 बोर मय एक जिन्दा कार0 315 बोर मय खोखा कार0 315 बोर मय एक छुरा नाजायज व 11000 रुपये नगद (थाना परतापुर की लूट के 6000रुपये व थाना गुलावटी लूट के 5000रुपये)

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 214/19 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड)बनाम सभी
1. मु0अ0सं0 215/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि बनाम सभी
2. मुकदमा अ0सं0 216/19 धारा 3/25 A.ACT बनाम शिवम ,
3. मु0अ0सं0 217/19 धारा 4/25 बनाम विककी
4. मु0अ0सं0 243/19 धारा 392 भादवि थाना गुलावटी जिला बु0शहर बनाम सभी
5. मु0अ0सं0 313/19 धारा 392 भादवि थाना परतापुर जिला मेरठ बनाम सभी

अवैध सट्टे की खाईबाडी करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार

थाना परतापुर पुलिस द्वारा परतापुर तिराहे से 1. अंकुर पुत्र राम किशन निवासी पूठा पाठक थाना परतापुर मेरठ, 2. अजय पुत्र राजकुमार निवासी अंबेडकर नगर रिठानी थाना परतापुर मेरठ, 3. आकाश पुत्र मोहन लाल निवासी शिव शक्ति नगर थाना ब्रह्मपुरी मेरठ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा ताश के पत्तो से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते पकड़े जाना जिनके कब्जे व फड़ से 52 पत्ते ताश व 590 /- रूपये नगद बरामद होना। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना परतापुर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।